यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून के माह 08/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार-सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व रवि प्रताप सिंह यादव- व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2017 से 08.08.2017 तक श्री हनुमान सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सुनील कुमार- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2016 से 02.09.2016 तक श्री डी.एन. मिश्रा- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2014 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (I) **इकाई के क्रियाकलाप** : शासन द्वारा शहरी विकास हेतु अवमुक्त धनराशि को नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वितरित करना एवं राजी व केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण।

(II) **भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** उत्तराखंड राज्य के समस्त 92 स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन (` लाख में)	व्यय (` लाख में)	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	शून्य	शून्य	156.64	156.64	22709.16	2270 9.16	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	271.35	271.35	29544.06	2954 4.06	शून्य	शून्य
2017-18 (जुन तक)	शून्य	शून्य	97.34	53.31	12434.85	867.0 4	शून्य	44.02-स्था° 11567.81- गैर स्था°

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)/ बचत(-)
2016-17	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	0	32268000	32268000	0
2016-17	एन.यू.आर.एम.	0	40323000	40323000	0
2016-17	एन.यू.एल.एम.	0	59788856	59788856	0

2016-17	पी.एम.ए.वाई.	0	92070000	92070000	0
2016-17	अर्द्धकुम्भ	0	126824599	126824599	0
2016-17	एस.बी.एम.	0	58000000	58000000	0
2016-17	अमृत	0	706800000	706800000	0
2016-17	स्मार्ट सिटी	0	6667000	6667000	0
2016-17	हाउसिंग फॉर ऑल	0	406300000	406300000	0

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव (शहरी विकास विभाग)
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय
3. नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी, (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1- निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण भारत सरकार के अनुदान की धनराशि रु 21.01 करोड़ का व्यपगत हो जाना।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के घटक यूआईडीएसएसएमटी (Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns) की गाइडलाइन के प्रस्तर-7 में उल्लिखित है कि:

- ❖ स्वीकृत परियोजनाओं में केंद्रान्श (परियोजना लागत का 80 प्रतिशत) की धनराशि दो किश्तों में अवमुक्त की जानी थी।
- ❖ केंद्रान्श की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) नोडल एजेंसी के चयन एवं अनुबंध ज्ञापन (Memorandum of Agreement) के हस्ताक्षर के बाद और दूसरी किश्त पूर्व में निर्गत राशि (केंद्रान्श एवं राज्यान्श) के 70 प्रतिशत के उपभोग संबंधी प्रमाणपत्र नोडल एजेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 माह के भीतर दिये जाने के बाद।
- ❖ पुनः भारत सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जाने की तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2017 की गयी थी और भारत सरकार द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया था कि इस तिथि के बाद धनराशि को निर्गत किया जाना कठिन होगा।

शहरी विकास निदेशालय के अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि परियोजनाओं की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अक्तूबर 2013 में यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत दो परियोजनाओं, हल्द्वानी एवं चार[1] अन्य स्थानीय शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य सभी निकायों में हल्द्वानी निकाय द्वारा कराये जाने थे) और ऋषिकेश में हेरिटेज योजना, को स्वीकृत किया गया था। जिनकी लागत क्रमशः रु 34.88 करोड़ और रु 17.66 करोड़ थी। राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास निदेशालय को नोडल एजेंसी चयनित किये जाने एवं भारत सरकार से अनुबंध ज्ञापन हस्ताक्षरित हो जाने के बाद, भारत सरकार ने नवंबर 2013 में दोनों परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त क्रमशः रु 13.95 करोड़ एवं 7.06 करोड़ की धनराशि निर्गत की थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा धनराशि की निर्गत तिथि के 11 माह बाद राज्यान्श को शामिल करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु रु 17.44 करोड़ (रु 13.95 करोड़, केंद्रान्श + रु 3.49 करोड़, राज्यान्श) की धनराशि अक्तूबर 2014 में निदेशालय/नोडल एजेंसी को स्थानीय शहरी निकायों को दिये जाने के लिए अवमुक्त की थी और हेरिटेज योजना की राशि को अवमुक्त नहीं किया था। निदेशालय द्वारा राज्य सरकार से अवमुक्त धनराशि रु 17.44 करोड़ में से रु 8.72 करोड़ नवंबर 2014 में हल्द्वानी को अवमुक्त किये गए थे और शेष धनराशि मार्च 2015 में ट्रेजरी से आहरित कर पीएलए (Personal Ledger Account) में रखी गयी थी जो अतिथि तक पीएलए में पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित किये बगैर परियोजना स्वीकृत करायी थी क्योंकि स्थानीय शहरी निकाय हल्द्वानी को अगस्त 2015 में भूमि प्राप्त हो पायी थी एवं ईआईए (Environment Impact Assessment) की स्वीकृति मिलनी शेष है और निकाय द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र रु 40 लाख का ही व्यय किया गया था।

इसीप्रकार, ऋषिकेश में हेरिटेज योजना हेतु राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा धनराशि की निर्गत तिथि के 30 माह बाद राज्यान्श को शामिल करते हुए रु 8.83 करोड़ (रु 7.06 करोड़, केंद्रान्श + रु 1.77 करोड़, राज्यान्श) को दो किश्तों में, रु 2.83 करोड़ जून 2016 में एवं रु 6.00 करोड़ फरवरी 2017 में

[1] रुद्रपुर, कच्छा, भीमताल और लालकुआं

निदेशालय/नोडल एजेंसी को कार्यदायी संस्था को दिये जाने के लिए अवमुक्त की थी जिसे निदेशालय द्वारा किश्तों के निर्गमन माह के अगले माह में कार्यदायी संस्था परियोजना खंड, सिचाई विभाग, ऋषिकेश को

निर्गत किया गया था और कार्यदयी संस्था द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक मात्र रु 1.50 करोड़ का व्यय किया गया था।

इस प्रकार बिना भूमि उपलब्धता के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना के स्वीकृत कराये जाने एवं हेरिटेज परियोजना में देर से धनराशि के अवमुक्त किये जाने के कारण परियोजनाओं पर भारत सरकार से अवमुक्त प्रथम किश्त के 70 प्रतिशत के बराबर की धनराशि उपभोग नहीं की जा सकी थी। जिसके कारण 70 प्रतिशत व्यय कर लिए जाने के उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित तिथि तक भारत सरकार को नहीं भेजे गये थे। और इस प्रकार दोनों परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से दूसरी किश्त के रूप में मिलने वाली रु 21.01 करोड़ की धनराशि न केवल व्यपगत हो गयी बल्कि इन परियोजनाओ के अपूर्ण रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हलांकि उक्त दोनों परियोजनाओं के साथ स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के उपभोग के प्रमाणपत्र भारत सरकार को निर्धारित तिथि तक भेज दिये गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए उत्तर में बताया गया कि धनराशि के उपयोग न होने के कारण भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं उपलब्ध कराया गया।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर- 2: विभागीय उदासीनता के कारण रु 131.65 करोड़ की परियोजनाओं के कार्यों का प्रारम्भ न होना और रु 26.33 करोड़ की धनराशि का अवरुद्ध रहना।

अमृत योजना की गाइडलाइन/प्रक्रिया के अनुसार परियोजनाओं की अनुमानित लागत के आधार पर वार्षिक योजना (State Annual Action Plan) राज्य सरकार से अनुमोदित होगी एवं अनुमोदनोपरांत स्वीकृत वार्षिक योजना के केंद्रान्श की 20 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार से निर्गत की जाएगी और जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्यान्श के साथ संबन्धित स्थानीय शहरी निकाय को परियोजनाओं हेतु अवमुक्त किए जाने के लिए निदेशालय को निर्गत की जाएगी। वार्षिक योजना स्वीकृत के बाद प्रोजेक्ट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा जारी होगी और प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में यदि कमी या बढ़ोत्तरी होती है तो उसे दूसरी किश्त में भारत सरकार द्वारा समायोजित किया जाएगा।

शहरी विकास निदेशालय में क्रियान्वित अमृत योजना (90 प्रतिशत केंद्रान्श) से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया की वर्ष 2015-16 की वार्षिक योजना रु 148.53 करोड़ की स्वीकृत हुई थी (जुलाई 2016, पुनरीक्षित) जिसमे कुल 39 परियोजनाएं शामिल थी और वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना रु 197.33 करोड़ की स्वीकृत हुई थी (सितंबर 2016) जिसमें कुल 44 परियोजनाएं शामिल थी। दोनों वर्षों की 20 प्रतिशत धनराशि क्रमशः रु 29.71 करोड़ एवं रु 39.47 करोड़ अवमुक्त कर दी गई थी (मई 2016 एवं अक्तूबर 2016) जिसे निदेशालय द्वारा संबन्धित स्थानीय शहरी निकायों को भी अवमुक्त कर दिया गया था।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के कुल 08 प्रोजेक्ट एवं निर्माण की अनुमानित लागत रु 53.62 करोड़ और वर्ष 2016-17 के कुल 21 प्रोजेक्ट एवं निर्माण की अनुमानित लागत रु 78.02 करोड़ की परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई थी। जिसके कारण परियोजनाओं हेतु 20 प्रतिशत धनराशि कुल रु 26.33 करोड़ {रु 53.62 करोड़ का 20% (रु 10.72 करोड़) + रु 78.02 करोड़ का 20 प्रतिशत (रु 15.61 करोड़)} अवमुक्त हो जाने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे। और रु 26.33 करोड़ की धनराशि वर्तमान तक (अगस्त 2016) निकायों के पास 11 से 16 माह की अवधि से अवरुद्ध पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया परियोजनाओं में डीपीआर स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित कर ली गयी है परंतु कार्य स्वीकृति के उपरांत प्रारम्भ किये जाएंगे। और प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन से अपेक्षित है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों वार्षिक योजना (2015-16 पुनरीक्षित एवं 2016-17) सितंबर 2016 तक स्वीकृत कर दी गयीं थी परंतु विभागीय उदासीनता के कारण वर्तमान तक (अगस्त 2016) इकाई द्वारा परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं करायी जा सकी थी जिसके कारण न केवल कार्य प्रारम्भ हो सके थे बल्कि धनराशि भी अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

अतः उक्त प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- रु. 2819.43 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का अप्राप्त रहना।

शहरी विकास विभाग द्वारा नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना स्थानीय निकायों की सीमांतर्गत मूल-भूत नागरिक सुविधाएं यथा- ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क तथा नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाएं आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जाती है।

इकाई के नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 में उक्त योजना हेतु नगर निकायों को कुल रु. 2819.43 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं उत्तराखंड शासन के स्वीकृति पत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था, परंतु उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र माह जुलाई 2017 तक अप्राप्त था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया की अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र निकायों से एकत्र किए जा रहे हैं।

अतः कुल रु. 2819.43 लाख की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र के अप्राप्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
71/2016-17	1,2	1,2,3
67/2014-15	----	2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या उच्चाधिकारी की संस्तुति प्राप्त कर नहीं प्रस्तुत की गयी थी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   श्री विनय नेगी- लेखकार की सामान्य भविष्य निधि पासबुक
2. **सतत् अनियमितताएः**
   शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	**श्री नितिन भदौरिया**	**निदेशक**	08.2016 से 10.16
2	**श्री नवनीत पांडे**	**अपर निदेशक**	10.16 से 02.17
3	**श्री नवनीत पांडे**	**प्रभारी निदेशक**	02.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र